न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 45 / 2024
GCMS No. 2024 / 150

मीना कंवर पत्नी शक्तिसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील बिसाऊ मलसीसर जिला झुन्झुनू

–प्रार्थिया

बनाम

1. महावीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा (दौराने दावा मृतक)
   1/1. सुरेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील बिसाऊ
   1/2. महेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी दौलतपुरा तहसील बिसाऊ
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बिसाऊ जरिये शाखा प्रबन्धक
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बिसाऊ

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री विजयसिंह लालपुरिया
वकील अप्रार्थी –

निर्णय

दिनांक 25.06.2025

संक्षेप मे आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खेत ख0न0 172 रकबा 1.68 है0 सरहद मौजा ग्राम दौलतपुरा तहसील बिसाऊ में स्थित है जिसमें आवेदिका 1/2 हिस्सा भूमि की सहखातेदार है। इसी प्रकार ग्राम दौलतपुरा में भूमि ख0न0 176, 207/172, 228/171, 229/171, 230/171 कुल किता 5 कुल रकबा 2.01 है0 अनावेदक संख्या 1 की भूमि है। आवेदिका अपने खेत में आने जाने के लिये कटानी रास्ता ख0न0 229/171 से भूमि ख0न0 230/171 व 207/172 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे आवागमन कर रही है। इसके अलावा आवेदिका के खेत में पहुंचने के लिए अन्य कोई नजदीकी रास्ता उपलब्ध नहीं है ना ही अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। इसलिये आवेदिका को उक्त रास्ता दिलवाया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। आवेदिका उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले डीएलसीर दर की दुगुली राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदिका को अपनी भूमि खेत ख0न0 172 में आने–जाने के लिये कटानीरास्ता ख0न0 227/171 से खेत ख0न0 230/171, 207/172 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे सलंग्न नजरी नक्शे में मार्क ए से बी लाल स्याही से दर्शित किया गया है रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने

के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। दौराने विचारण प्रार्थना पत्र अनावेदक संख्या 1 की मृत्यू होने पर उनके वारिसान को अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/2 पर बतौर पक्षकार संयोजित किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु कोई उपसंजात नहीं हुआ। तहसीलदार बिसाऊ की मौका जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के हस्ताक्षर है। इसलिये इनकी उपस्थिति मानकर फर्द मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होना इनकी ओर से उक्त रास्ता दिये जाने में सहमती

तहसीलदार बिसाऊ के पत्र क्रमांक 67 दिनांक 06.03.2025 से रिपोर्ट प्रेषित की। तहसीलदार बिसाऊ ने अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया है कि आवेदिका को चाहे गये रास्ते की आत्यातिंक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। आवेदिका द्वारा चाहे गये रास्ते की दूरी लघूतम है जो 71 मीटर है।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदिका ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आवेदिका के पास अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है तथा तहसीलदार बिसाऊ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चाहा गया रास्ता लघुतम है। इसलिये चाहा गया रास्ता रिकार्ड में कटानी दर्ज किया जावे। मौका रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1/1 व 1/2 के हस्ताक्षर है जो यह दर्शाता है कि अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में आवेदिका की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 172 में आने जाने हेतु

ख0न0 229/171 गै0मु0 रास्ता से ख0न0 230/171 व 207/172 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार रास्ता चाहा गया है। तहसीलदार बिसाऊ की रिपोर्ट के अनुसार आवेदिका को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है तथा चाहा गया रास्ता लघूतम दूरी का है जिसकी लम्बाई 71 मीटर है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों, तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदिका को खेत खसरा नम्बर 172 में आने–जाने के लिये ख0न0 229/171 गै0मु0 रास्ता से खेत खसरा नम्बर 230/171 व 207/172 की दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे अंकित लघूतम रास्ता 3 मीटर चौड़ा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिसाऊ को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 230/171 व 207/172 में से रास्ते में आने वाली भूमि के बदले डी.एल.सी. का दो गुणा राशि आवेदिकर से वसूल कर ख0न0 230/171 व 207/172 के खातेदार को दी जाकर राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर